

# Md. Eqbal Ansari

Advocate cum G.P.  
Main Hall, Table No. 8  
Civil Court, Bokaro

Ex-Vice-Principal :

I.H.K.LAW COLLEGE

Assistant Secretary :

FREE LEGAL AID COMMITTEE

Bokaro Steel City, Jharkhand



**Residence**

Qr. No. - 419, Street - 20  
Sector - IX C, B.S.City, Bokaro  
Mobile : 8709621322  
9431735151

Ref. No. G.P./2023

Date 13.3.2023

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय,  
बोकारो जिला बार एसोसिएसन,  
जिला - बोकारो (झारखण्ड)।

**विषय :- JUVNL एवं अनुषंगी कंपनियों के जिलास्तरीय वादों के निष्पादन हेतु अधिवक्ताओं का जिलावार पैनल तैयार करने के संबंध में।**


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 2918, दिनांक 27.02.2023 एवं झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशक (मानव संसाधन) सुनिल दत्त खाखा के पत्रांक 258/राँची दिनांक 15.02.2023 की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि, बोकारो जिला बार एसोसिएसन के माध्यम से पर्याप्त संख्या में योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं से आवेदन प्राप्त कर एवं सूची तैयार करने की कृपा की जाए ताकि, जिलास्तरीय न्यायालयों/पंचाटों में विचाराधीन वादों में निगम का पक्ष रखा जा सके।

प्राप्त आवेदनो में से न्यूनतम तीन तथा अधिकतम पाँच अधिवक्ताओं की सूची अनुशंसा के साथ अद्योहस्ताक्षरी को सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासमजन

  
सरकारी अधिवक्ता  
व्यवहार न्यायालय,  
जिला - बोकारो।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय बोकारो।  
(विधि शाखा)

पत्रांक.....454/विधि

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी,  
विधि शाखा, बोकारो।

सेवा में,

सरकारी अधिवक्ता,  
बोकारो।

बोकारो, दिनांक...०९/०९/2023

विषय :- JUVNL एवं अनुषंगी कम्पनियों के जिला स्तरीय वादों के निष्पादन हेतु अधिवक्ताओं का जिलावार पैनल तैयार करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-258, दिनांक-15.02.2023 की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र में दिए गए निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
09/09/2023  
प्रभारी पदाधिकारी,  
विधि शाखा, बोकारो।

महाधिवक्ता कार्यालय  
झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

16  
श्री विभा  
Kry  
01.02.23

पत्रांक-  
प्रेषक,

राँची/दिनांक-

राजीव रंजन,  
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला सरकारी अधिवक्ता (जी0पी0)  
झारखण्ड, राँची।

विषय: JUVNL एवं अनुषंगी कम्पनियों के जिला स्तरीय वादों के निष्पादन हेतु अधिवक्ताओं का जिलावार पैनल तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-258, दिनांक-15.02.2023 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि JUVNL एवं अनुषंगी कम्पनियों के जिला स्तरीय मुकदमें/मामलों का निष्पादन हेतु 10 वर्ष से अधिक अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु अपने स्तर से सूचना प्रकाशित कर एक सप्ताह के अन्दर आवेदन प्राप्त किया जाये।

प्राप्त आवेदनों में से न्यूनतम तीन तथा अधिकतम पाँच अधिवक्ताओं की सूची अपनी अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराया जायें  
अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी  
(ह0/-)

महाधिवक्ता  
झारखण्ड, राँची।

झापांक- 2918

राँची/दिनांक- 27.2.23

प्रतिलिपि- श्री सुनील दत्त खाखा, निदेशक (मानव संसाधन), झारखण्ड उर्जा विभाग निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची।

2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajiv Ranjan  
महाधिवक्ता 27.02.2023  
झारखण्ड, राँची।

498  
28/02/23

Handwritten signature/initials



# झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(सी.आई.एन; यू.40108 जे.एच.2013एस.जी.सी.001603)

Regd. Office: अभियंत्रण भवन एच० ई० सी०, दुर्गा, राँची-834004

टेलीफोन सं०: 0651-2400011 एवं फैक्स सं०: 0651-2400799

पत्रांक 258 / राँची,

JUVKL/Spl. Legal Cell/31006/2023

दिनांक 15.02.2023

प्रेषक,

सुनील दत्त खाखा  
निदेशक (मानव संसाधन)

सेवा में,

विद्वान महाधिवक्ता  
झारखंड, राँची।

विषय :- अधिवक्ताओं का जिलावार पैनल तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि० एवं अनुषंगी कम्पनियों से संबंधित विभिन्न वाद यथा, Civil Suit, Executions Case, PDR Cases, Power theft Cases, MSME Cases, VUSNF Cases, Consumer Forum Cases इत्यादि जिलास्तरीय न्यायालयों/पंचाटों में विचाराधीन है।

उक्त वादों के उचित निस्तारण हेतु जिलास्तर पर योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः अनुरोध है कि जिला बार एसोशिएसन से समन्वय स्थापित कर अथवा जो प्रक्रिया उचित प्रतीत होती हो, के माध्यम से पर्याप्त संख्या में योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं के आवेदन प्राप्त कर सूची तैयार करने की कृपा की जाए ताकि जिलास्तरीय न्यायालयों/पंचाटों में विचाराधीन वादों में नियम का पक्ष रखने तथा अन्य संबंधित विधिक कार्यों के संपादन हेतु जिलास्तर पर अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जा सके।

विश्वासभाजन

15.2.2023

(सुनील दत्त खाखा)  
निदेशक (मानव संसाधन)

Office of the Advocate General, Jharkhand

Received by ...  
Date 17.2.2023

Signature

Office